न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :–207 / 17 दायरा दिनांक 08.12.2017

आर.सी.एम.एस नं. 2017 / 00088

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

पंकज पुत्र शिवचरण जाति महाजन निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां। – अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक, बारां जिला बारां राज.। –रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

अभिभाषक अपीलान्ट :– श्री हेमराज नामदेव।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.08.2017 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद जिला बारां राज. कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 02 / 2017

निर्णय दिनांक 29/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 18.12.2015 को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।अधीनस्थ न्यायालय तहसील शाहबाद ने अपीलान्ट को ग्राम शाहबाद की आराजी खसरा नम्बर 403 की रकबा 0.03 बिस्वा किस्म चरागाह पर सर्वथा मिथ्यों के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय दिनांक 30.08.2017 मिसल नम्बर 02 / 17 से 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास से तथा 50 / – रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कर नियम एवं कानून का स्पष्ट उल्लघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोट व असत्य सूचना पर पूरा–पूरा भरोसा किया है पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् कोई साक्ष्य मौजूद नहीं होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी घोषित कर नियमों का स्पष्ट उल्लघन किया है इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अप्रार्थी / अपीलान्ट को धारा 90–ए के तहत नोटिस जारी कर तामील कराये जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है (धारा 90–ए के प्रावधान कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग का निषेध करती है) जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 91(3) (1) अन्तर्गत कोई नोटिस तामील नहीं कराया, न ही अपीलान्ट को सुना गया, इस कारण भी उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में हल्का पटवारी के बयान सरकारी साक्ष्य के रूप में दर्ज करने का उल्लेख किया है, जबकि हल्का पटवारी के निर्णय में उल्लेखित कोई बयान पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने

योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय के जरीये भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के तहत अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कियाा है, जबकि 90–ए की कार्यवाही अमल मे लाये जाने की पूर्व शर्त है कि भूमि प्रयोजनार्थ उपयोग की हो और उसका अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना किया गया हो। इस कारण प्रश्नगत निर्णय पूर्णरूपेण विधि विरूद्ध एवं दूषित होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त सजायाब आदेश की पालना में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 27.11.2017 को पुलिस अपीलान्ट घर पहुची और अपीलान्ट के परिजनो को बताया, जब अपीलान्ट घर आया और परिजनों ने अपीलान्ट को बताय, तब अपीलान्ट को अधीनस्त न्यायालय के उक्त आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ की इसी दिनांक 27.11.2017 को अपीलान्ट ने उक्त सजायाब आदेश की नकल प्राप्ति हेतु अधीनस्थ न्यायालय पंहुच आवेदन कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय से तैयार नकल दिनांक 27.11.2017 को प्राप्त कर सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है, पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा फरमाये जाने की कृपा करें। यह कि इसी अपील के साथ प्रार्थना पत्र भारतीय मर्यादा अधिनियम दफा 5 का प्रस्तुत हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कि कथन किया की मुझे गलत तौर पर पश्चातवर्ती अतिकमि माना है पूर्व का कोई रिकार्ड नही है, मुझे धारा 91 का नोटिस नही दिया, केवल धारा 91ए का नोटिस दिया हैं। जबकि 91ए का नोटिस खातेदारी कृषि भूमि पर दिया जाता हैं। जबकि मुझे नोटिस धारा 91ए का दिया गया है। अतः सजा माफ की जावें। निर्णय अपास्त किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन व बहस के विवेचन से पाया जाता है कि अनीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करते समय कानूनी प्रावधानों का विधिवत अनुसरण नहीं किया है। परन्तु अपीलान्ट का अपीलाधीन व चरागाह भूमि पर अतिक्रमण होना सिद्ध होता है।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट उक्त अतिक्रमित भूमि से 15 दिवस की अवधि में अतिक्रमण हटाले तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दें तो सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: